सहायक कलेक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

14-5-24

पत्रावली आज पेश हुई।
उभयपक्षकारान एवं अधिवक्ता अनुपस्थित।
पत्रावली अपीलीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03.06.2013 के निर्णय को अपास्त कर इस निर्देशों के साथ रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई कि अपीलान्टगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देते हुए वाद की सम्पूर्ण प्रकियागत कार्यवाही को पूर्ण करते हुए बाद समुचित सुनवाई गुणावगुणा पर निर्णय पारित करने हेतु दिनांक 11.04.2022 को इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया था। परन्तु उभयपक्षकारान आज दिन तक इस न्यायालय में उपस्थित नही हुए।
आज अदालत समय में रूक–रूक कर तीन बार बार आवाजे दिलवाये जाने के बावजूद उभयपक्षकारान एवं उनके वकील में से कोई उपस्थित नही हुए।
अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज लगाई गई। फिर भी इनमें से कोई हाजिर नही हुए। इससे जाहीर होता है कि उभयपक्षकारान एवं उनके वकील इस प्रकरण में कोई रूची नही ले रहे है।
अतः राजस्व वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:28:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner